झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–324/2019

ममता देवी .... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, अब झारखण्ड।
2. आयुक्त, संथाल परगना, दुमका डिवीजन, दुमका।
3. उपायुक्त, गोड्डा।
4. अनुमंडल अधिकारी, गोड्डा।
5. मौजा गुन्घशा के प्रधान के माध्यम से मौजा गुन्घशा के सोलह अन्ना रैयत, थाना–पोरैयाहाट, जिला–गोड्डा।
6. मौजा गुन्घशा के प्रधान, थाना–पोरैयाहाट, जिला–गोड्डा।
7. दुखी मोहली।
8. आशा देवी। .... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगोन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मनोज कुमार साह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री डी0के0 मल्तियार, ए0सी0 टू एस0सी0 माइंस–I

03/03.09.2019 पार्टियों को सुना।

याचिकाकर्ता द्वारा सिविल रिव्यू सं0 83/2018 की पुनःस्थापन हेतु यह आवेदन दाखिल की गई है, जिसे 5.4.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

तत्काल आवेदन में बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के बाद, इसकी अनुमति है और सिविल रिव्यू सं0 83/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)